



13

समक्ष-सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म.प्र.

प्र.क्र. -----/निगरानी/2012-13

श्रीमति गीताबाई आयु 46 साल बत्ति विजयसिंह ठाकुर

निवासी ग्राम खजुरी खुर्द रायसेन वायव्य रोड

तहसील हुजूर जिला भोपाल, कृष्क ग्राम लीलाखाड़ी

तहसील सीहोर, जिला सीहोर म.प्र. § ----- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

अनावेदक

श्रीमति मंगला मेमाड़े व्यक्त बत्ति दिलीपकुमार मेमाड़े

जाति मेवा बाटिल § महाराष्ट्रीयन § कृष्क ग्राम

लीलाखाड़ी तहसील व जिला सीहोर, निवासी एत-4,

अषि होम्स, जी-1/107-108, गुल मोहर कालोनी

भोपाल म.प्र. § ----- रेषान्डेन्ट /

आवेदिका

सन्तोष कुमार पुत्र मदनलाल महेश्वरी, व्यक्त

निवासी ग्राम बिलकीसगंज तह. जिला सीहोर ----- रेषान्डेन्ट /

अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता

विरुद्ध आदेश दिनांक 24/6/2013, प्र.क्र. 113/अ-12/12-13

श्रीमति मंगला मेमाड़े विरुद्ध सर्व संबंधिता, पारित द्वारा अति.

तहसीलदार श्री राजेन्द्र बंधार तहसील व जिला सीहोर म.प्र.

महोदय,

निगरानीकर्ता माननीय अधिस्थ न्यायालय द्वारा पारित

आदेश वास्ते सीमांकन दिनांक 25/4/2013 जितकी पुष्टि दिनांक

24/6/2013 को की गई, से असंतुष्ट एवं दुखी होकर निम्नकीति

तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करती है:—

प्रकरण के तथ्य / 1

1:- यहकि निगरानीकर्ता ने ग्राम लीलाखाड़ी स्थित भूमि

खसरा नंबर 143-144/1 रकबा 0.707 हेक्टर एवं खसरा नंबर-

147 रकबा 0.454 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 1.214 हेक्टर यान

12/

Shurondya

आध्यात्मिक
दस्तावेज
विरुद्ध पुष्टि कर अपर

13/

R. 3507-II/13
जीएस-के 26/8/13
रकबा-2000
अपेक्षा-भोपाल
26/8/13

16/9/13

R3507 II / 2013 ही हो
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

नो. ५५५

प्रकरण क्रमांक..... जिला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>20/12/17 ग्वालियर</p>	<p>आवेदन अभिभाषक का ससद को बुलाया गया/उमके कक्षा- विवेकन किया गया है कि वह प्रकटा के आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः आवेदन अभिभाषक के अनुमति पर प्रकटा न चलाने के कक्षा ससद सतृप्त-समाप्त किया जा रहा है।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	<p>अल जेहा देवा जाहेत ही</p> <p style="text-align: right;">20/12/2017</p>